अन्तर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति (तेरहवीं लोक सभा)के दसवें प्रतिवेदन के अध्याय। और V में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के संबंध में विवरणों की एक प्रति (अंग्रेजी तथा हिन्दी में) मैं सभा पटल पर रखता हूं।

REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON ENERGY

SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL (Maharashtra): Sir, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the Eighteenth Report of the Standing Committee on Energy (Thirteenth Lok Sabha) on the Coal Mines (Nationalisation) Amendment Bill, 2000.

RE: ALLEGED STATEMENTS ON BABRI MASJID DEMOLITION AND HANDING OVER THE DISPUTED LAND TO V.H.P. AND RAM JANMABHOOMI TRUST

SHRI ARJUN SINGH (Madhya Pradesh): Sir, I seek your kind permission to draw the attention of the hon. House and, specially, the Prime Minister, to a statement made by Mr. Roy, an ex-S.P., about the Prime Minister's knowledge of the conspiracy behind the demolition Pf the Babri Masjid. According to the statement, the Prime Minister was privy to the matter. Now, in this background, we, the Members of this House, and the country would like to know as to how far the statement of Mr. Roy is correct. If it is correct, we would like to know the clarification of the Prime Minister on that.

Secondly, in case there is any doubt about it, I would like to know whether the Government is prepared to have an inquiry done into it so that this matter should be very clearly known to the country. We cannot have a situation where the position of the Prime Minister is in doubt on such a vital and sensitive matter. This is not something which concerns only the Prime Minister personally, it concerns the polity of this country on an issue which is very divisive and which has led to a lot of suffering in this country. *(Interruptions)...* I am only asking: Does the Prime Minister not have any sense of responsibility when such a statement is made? Is it not desirable that a person, who occupies the position of the Prime Minister, at least, issues, a clarificatory statement? He can categorically deny it. I will accept it. But he cannot sit quietly and have the best of both. *(Interruptions)...*

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, what is this? I will reply on behalf of the Prime Minister. *(Interruptions)...*

SHRI T.N. CHATURVEDI (Uttar Pradesh): You have also occupied a position of responsibility. *(Interruptions)....*

SHRI PRAMOD MAHAJAN: You are asking the Government to reply. *(Interruptions)...* I talked to the Prime Minister in the morning. *(Interruptions)...* I will reply on his behalf. *(Interruptions)...*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Please take your seat. I will call you *(Interruptions)...* I will give you a chance. Please take your seat *(Interruptions)...*

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान)**:** जो आरोप लगाए हैं उसको सुन तो लो**,** फिर जवाब दे दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन: आपने कहा कि हम खामोश हैं। हम खामोश हैं। हम खामोश इसलिए हैं कि अर्जुन सिंह जी बोल रहे हैं। जब वह बैठ जाएंगे तब हम बोलेंगे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI ARJUN SINGH: Sir, the simple thing that I am asking for is.a categorical denial. If there is no categorical denial, will this Government institute an inquiry into this allegation?

SHRI NILOTPAL BASU (West Bengal): Sir, actually, I have sought permission from the Chairman to raise the other matter, which has come up on the basis of the information given by the UNI, about the taking over of 47 acres of land at the site of the disputed Babri Masjid complex. You may remember that last Sunday the Prime Minister had made a statement in a Press conference in Lucknow that he was going to sort out the Ayodhya dispute. Subsequently, a report came from the UNI, quoting the Vishwa Hindu Parishad sources, that already a process was on where the Prime Minister had spoken to legal luminaries and the officials of the Law Ministry that the disputed land, which was taken over by the Centre in 1993, would be handed over to the Vishwa Hindu Parishad and the Ram Janmabhoomi Trust before March, 2002, so that the deadline, which had been given by the VHP, to build the temple at the disputed site in contravention of the existing laws of the land would be met. The things are getting more and more mysterious. So, we need a comprehensive clarification from the Government on these issues.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आज उत्तर प्रदेश के पुलिस अफसर ने जो बहुत जिम्मेदारी के पद पर था, उसने बता दिया है और उसने बयान दिया है और उसने स्पष्ट रुप से कहा है कि कई मंत्री उस बैठक में उपस्थित थे। माननीय डा. मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया है और भी मंत्रियों के नाम लिये हैं। साथ ही उसने कहा है कि प्रधान मंत्री जी को भी इसकी जानकारी दी थी। उपसभाध्यक्ष जी, निश्चित रुप से यह बात आती है कि इस ष़डयंत्र में उस समय इन सब लोगों का हाथ था। अगर इसकी सफाई नहीं दी जाएगी तो निश्चित रुप से अपने देश की जनता और दुनिया की जनता इसी बात को कहेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि वह इस बात का पूरी तरह से खंडन कर दे। उपसभाध्यक्ष जी, आप इस संबंध में इनसे जवाब लीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): श्री जोशी जी का नाम आया है। जोशी जी उपस्थित हैं। वे इसका जवाब देंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्री,विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा.मुरली मनोहर जोशी): उपसभाध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी कोई बैठक लखनऊ में श्री कल्याण सिंह जी के घर पर नहीं हुई जिसमें माननीय प्रधान मंत्री , मैं और श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी उपस्थित रहे हों। मैं इसका पूरे तौर पर खंडन करता हूं और यह शरारत से भरा हुआ समाचार है। यह बिल्कुल बेबुनियाद, निराधार, तथ्यों के विपरीत और राजनीति से प्रेरित है।

श्री कलराज मिश्र (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी सम्मानित सदस्य ने प्रधान मंत्री के बारे में और उस वक्तव्य के बारे में जो अयोध्या की समस्या के समाधान के बारे में आय़ा था, जो आरोपित किया है वह पूरे तथ्य की जानकारी के बगैर है और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। उपसभाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी ने जिम्मेदारी के साथ जो पत्रकार वार्ता थी, पत्रकार वार्ता में उन्होंने इस विषय की शुरुआत नहीं की थी। एक पत्रकार ने पूछा कि अयोध्या के प्रश्न पर आप क्या कर रहे हैं। वीएचपी का नाम लेकर पूछा था। उसमें प्रधान मंत्री जी ने उसी बात को दोहराया था जो उन्होंने संसद के दूसरे सदन में बयान दिया था कि इस मामले का हल या तो वार्ता के माध्यम से या जो कोर्ट का फैसला होगा उसके माध्यम होगा। उसी बात को उन्होंने कहा कि इस संबंध में वार्ता चल रही है तथा उसका सामाधान हो सकता है, मार्च तक हो जय। ...(**व्यवधान**)...

श्री रमा शंकर कौशिक: मार्च तक ही क्यों?

श्री कलराज मिश्र: उपसभाध्यक्ष जी, जो शब्द प्रयोग हुआ है वह यही हुआ है। मैं कह रहा हूं कि मार्च तक समाधान हो जाने की संभावना है । ...(**व्यवधान**)... मैं चाहूंगा कि बीच में टोकाटाकी नहीं हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी): ठीक है कलराज जी।

श्री कलराज मिश्र: मार्च तक समाधान हो जाने की संभावना है। यह शब्द प्रयोग किया था। ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: मार्च तक ही क्यों?

श्री कलराज मिश्र: उपसभाध्यक्ष जी, अगर प्रधान मंत्री ...(**व्यवधान**)... प्रधान मंत्री जी अगर जिम्मेदारी के साथ राष्ट्रीय स्तर पर समाधान की संभावनाओं के बारे में वार्ता करते हैं ...(व्यवधान)...उपसभाध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि सम्मानित सदस्य हमारी बात सुनने का प्रयत्न करें। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेश पचौरी**): नीलोत्पल जी आप बैठ जाइये ।

श्री कलराज मिश्र: उपसभाध्यक्ष जी, इस तरह से इंटरप्ट करना ठीक नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर जो समस्या है उस समस्या के समाधान के लिए अगर उन्होंने वार्ता की बात कही और विभिन्न स्तरों पर चल भी रही होगी तो यह आवश्यक नहीं है कि समाधान के पूर्व उसको डिसक्लोज किया जाय। प्रधान मंत्री जी ने कहा है, गंभीरता से कहा है, प्रमाणिकता से कहा है कि समस्या का समाधान हो, यह आप सब लोग भी चाहते हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर समस्या का समाधान हो जाय तो इसमें हर्ज ही क्या है।

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेश पचौरी**): ठीक है कलराज मिश्र जी।

श्री कलराज मिश्र : समस्या का समाधान जिस रुप में हो उसके बारे में विचार किया जा सकता है अर्जुन सिंह जी सम्मानित सदस्य हैं। हम एक बात कहना चाहते हैं....

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेश पचौरी**): आप बैठ जाइये।

श्री कलराज मिश्र: जहां तक डा.जोशी की बात है ....

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेश पचौरी**): अब बैठ जाइए। संसदीय कार्य मंत्री ....

श्री प्रमोद महाजन: उपसभाध्यक्ष जी, दो बातें उठायीं गयी हैं। डा.जोशी जी ने खुद ही कहा है इसलिए इसमें अधिक कहने की जरुरत नहीं है। लेकिन समाचार पत्र में यह खबर आने के बाद आज सुबह साढ़े दस बजे मैं प्रधान मंत्री जी से मिला था, चूंकि इन सभी दिनों में मैं भी लखनऊ में था इसलिए ऐसी कोई बैठक नहीं थी, इसका मुझे पूर्ण विश्वास था। लेकिन मैंने सोचा कि फिर भी पूछ लूं, सदन में कहना है तो जिम्मेदारी के साथ और प्रधान मंत्री जी की ओर से कहना है तो प्रधान मंत्री जी से फिर पूछ लेना चाहिए और इसीलिए मैं पूर्ण जिम्मेदारी से और प्रधान मंत्री जी की ओर से कहता हू कि इस प्रकार की कोई बैठक प्रधान मंत्री जी, गृह मंत्री जी या मानव संसाधन विकास मंत्री जी जो आज हैं इन तीनों की, तीनों में से दोनों की या अकेले की ऐसी कोई बैठक कल्याण सिहं जी के घर पर नहीं हुई। मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बैठक कहीं नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में किसी ने किसी प्रकार से बाबरी ढांचे को ढहाने का षडयंत्र किया ही नहीं था। इसलिए इसमें मिलने न मिलने,बैठक होने न होने का कोई सवाल नहीं है। हम क्या समझें कि एक व्यक्ति जो वहां पर एसपी था, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नकारा था, वह ९ साल के बाद अचानक रहस्योदधाटन करता है, इसको कितना महत्व देना है, यह मैं हर एक सांसद की बुद्धि, विवेक पर छोड़ देता हूं।

श्री कलराज मिश्र: बैठक हुई थी। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेश पचौरी**): बैठिए, अभी मंत्री जी बोल रहे हैं, मिश्रा जी।

श्री प्रमोद महाजन: विषय को मत बढ़ाइए , खत्म करिए ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी (**पश्चिमी बंगाल**): सच्चाई यह है ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन: दूसरा ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: महोदय, यह तो अजीब स्थिति है ...(**व्यवधान**)... प्रमोद जी, प्रधान मंत्री जी की ओर से बोल रहे हैं। कलराज जी को अभी भी विश्वास नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्रीमती सरला माहेश्वरी : ये जो कहते हैं वह करते नहीं हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: यह मैंने पहली बार देखा है ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन: नीलोत्पल जी ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेश पचौरी**): बैठिए सरला जी। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन: मैं प्रधान मंत्री जी की ओर से बोल रहा हूं, इस पर जब तक आपका विश्वास है तब तक बाकी चिंता छोड़ दीजिए। आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया है उस पर भी मैं निश्चित रुप से कह सकता हूं कि 1993 में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था, भारत सरकार उसके विश्वस्त के रुप में काम कर रही है और यह जमीन किसी को भी देने का, किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आज सरकार के सामने नहीं है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Now, Special Mentions..*(Interruptions)* क्या है? ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (**उत्तर प्रदेश**): यह क्या है, जब चाहें खड़े हो जाते हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री नीलोत्पल बसु: मार्च, 2002 से पहले देने का कोई प्रस्ताव है? ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद महाजन: सर, आज एक प्रेजेंट मुद्दा है ...(**व्यवधान**)...

कल के लिए, अब अगर मार्च, 2002 से पहले देने का नहीं है तो मैं उम्र भर के लिए किसी को बांध नहीं सकता ...(**व्यवधान**)... जब मैं कह रहा हूं, ...(**व्यवधान**)... सर, मार्च तक कोई नहीं है ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल: कोई नहीं है इस प्रकार का ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (**श्री सुरेश पचौरी**): सिंहल जी ...(**व्यवधान**)...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिहंल: बीच में खड़े हो जाते हैं ...(**व्यवधान**)... जो कहना है कह देंते हैं ...(**व्यवधान**)...

SPECIAL MENTIONS

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI O. RAJAGOPAL): Sir, I would like to suggest something to the House. Now, there are 32 or 33 Special Mentions. If the House agrees, then, the names of the hon. Members, who have given notice of the Special